न्यायालय उपजिला कलक्टर अनूपगढ़, जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—सुरेश राव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :—78 / 2024
जी.सी.एम.एस नं.—2024 / 187

1. गुरप्रीत सिंह सन्धु पुत्र हरदयाल सिंह सन्धु जाति जटसिख निवासी चक—57 जी.बी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

--- प्रार्थी

बनाम्

1. हरदयाल सिंह पुत्र नारायण सिंह जाति जटसिख निवासी चक—57 जी.बी हाल SOUTHALL, MIDDLE FAX, LONDON [UNITED KINGDOM].
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. उप पंजीयक अनूपगढ़ तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

-----अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

वकील—

1. श्री तिलकराज चुघ एडवोकेट —प्रार्थी की ओर से
2. श्री बलदेव सिंह भगू एडवोकेट —अप्रार्थीगण संख्या ओर से

दिनांकः—03.04.2025

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसील अनूपगढ के चक न.—57 जी.बी. के मुरब्बा नम्बर 18, पत्थर नम्बर 231 / 448 के किला नम्बर 10 / 1 का 0.1260 हैक्टर, किला नम्बर 11 का 0.253 हैक्टर, किला नम्बर 12 / 2 का 0.2380 हैक्टर, किला नम्बर 13 / 3 का 0.0250 हैक्टर, किला नम्बर 13 / 4 का 0.1190 हैक्टर, किला नम्बर 14 / 1 का 0.0500 हैक्टर, किला नम्बर 14 / 2 का 0.0250 हैक्टर व किला नम्बर 14 / 3 का 0.1780 हैक्टर, किला नम्बर 15 / 2 का 0.1270 हैक्टर, किला नम्बर 16 का 0.2530 हैक्टर, किला नम्बर 17 का 0.2530 हैक्टर, किला नम्बर 18 / 1 का 0.2280 हैक्टर, किला नम्बर 18 / 2 का 0.0250 हैक्टर, किला नम्बर 19 / 1 का 0. 1280 हैक्टर, किला नम्बर 19 / 2 [illegible] किला नम्बर 19 / 3 का 0. 1000 हैक्टर, किला नम्बर 20 का 0.2530 हैक्टर, [illegible] 21 / 1 का 0. 2150 हैक्टर, किला नम्बर 21 / 2 का 0.0380 हैक्टर, किला [illegible] 22 का 0.2530 हैक्टर, किला नम्बर 23 का 0.2530 हैक्टर, [illegible] हैक्टर व किला नम्बर 25 का 0.2530 हैक्टर व इसी [illegible] पत्थर नम्बर 231 / 448 के किला नम्बर 1 / 1 का 0.2280 हैक्टर, किला नम्बर 1 / 2 का 0.0250 हैक्टर, किला नम्बर 2 का 0.2530 हैक्टर, किला नम्बर 3 का 0.2530 हैक्टर, किला नम्बर 4 का 0.2530 हैक्टर, किला नम्बर 5 का 0.2530 हैक्टर, किला नम्बर 6 का 0.2530 हैक्टर, किला नम्बर 7 का 0.2530 हैक्टर, किला नम्बर 8 का 0.2530 हैक्टर, किला

सुरेश राव आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.01 13:02:10 IST
Reason: SelfAttested

हैक्टर, किला नम्बर 7 का 0.2530 हैक्टर, किला नम्बर 8 का 0.2530 हैक्टर, किला नम्बर 9 का 0.2530 हैक्टर, किला नम्बर 10/1 का 0.2280 हैक्टर, किला नम्बर 10/2 का 0.250 हैक्टर, किला नम्बर 11/1 का 0.2280 हैक्टर, किला नम्बर 11/2 का 0.0250 हैक्टर, किला नम्बर 12 का 0.2530 हैक्टर, किला नम्बर 13 का 0.2530 हैक्टर, किला नम्बर 14 का 0.2530 हैक्टर व किला नम्बर 15 का 0.2530 हैक्टर इस प्रकार कुल 6.4520 हैक्टर कमाण्ड कृषि भूमि मय खाला राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त कृषि भूमि को प्रार्थना पत्र में आगे विवादित कृषि भूमि के नाम से दर्ज किया जावेगा। जमाबन्दी की फोटो प्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है अप्रार्थी संख्या 01 हरदयाल सिंह, प्रार्थी का पिता है तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 संयुक्त हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्य हैं। प्रार्थी यहां यह स्पष्ट करना चाहता है कि प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 01 का पुत्र है तथा प्रार्थी के अलावा अप्रार्थी संख्या 01 का अन्य कोई उत्तराधिकारी नहीं है अप्रार्थी संख्या 01 हरदयाल सिंह के नाम से उक्त 6.4520 हैक्टर कमाण्ड कृषि भूमि जो कि संयुक्त परिवार की पैतृक सम्पति है जिसमें प्रार्थी का शुरू से ही हित निहित है जिसमें प्रार्थी के अप्रार्थी संख्या 01 के साथ संयुक्त अधिकार एवं आधिपत्य में चली आ रही है तथा उक्त विवादित कृषि भूमि की आमदन से प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 अपना जीवन निर्वाह करते आ रहे हैं प्रार्थी यहां यह स्पष्ट करना चाहता है कि अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा पारिवारिक घरेलू व्यवस्था बनाये रखने के उददेश्य से उक्त समस्त कृषि भूमि 6.4520 हैक्टर कमाण्ड में से 1/2 हिस्सा कृषि भूमि पारिवारिक घरेलू मौखिक समझौता के तहत प्रार्थी को बांटकर दे दी जो प्रार्थी के अधिकार एवं आधिपत्य में चली आ रही है तथा समस्त प्रकार के हक अधिकार प्रार्थी में निहित हो चुके हैं। इसलिए प्रार्थी उक्त पारिवारिक समझौता की पालना में अपने अधिकारों की घोषणा करवाने का विधिक अधिकारी है प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 01 को कई बार कहा कि वह प्रार्थी के नाम से कृषि भूमि पारिवारिक मौखिक समझौता के तहत प्रार्थी को 1/2 हिस्सा भूमि बांटकर दी गई जावे। इसलिए उक्त पारिवारिक घरेलू समझौता की पालना में उसके नाम का अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे ताकि अपने अपने हिस्सा में काश्त आदि को लेकर किसी प्रकार का कोई तनाव तकाजा ना रहे और अपने अपने हिस्सा को समुचित रूप से काश्त एवं सिचिंत कर सके तो अप्रार्थी संख्या 01 शीघ्र ही ऐसा करवाने का आश्वासन देकर टाल मटोल करता रहा। यह कि अप्रार्थी संख्या 01 हरदयाल सिंह वादी का पिता है जो वृद्धावस्था की ओर अग्रसर है प्रार्थी की माता जितेन्द्र कौर की मृत्यु हो जाने के पश्चात उसने वृद्धावस्था में पुनः शादी कर ली और शादी करने पश्चात् वह अपनी दूसरी पत्नी के अत्यधिक प्रभाव एवं दबाब में है तथा इसलिए प्रतिवादी संख्या 01 अपनी दूसरी पत्नी के प्रभाव एवं दबाव में आकर वादी की उसके हक अधिकारों से वचित करने के दुर्भावनापूर्वक आश्य से विवादित कृषि भूमि को खुर्द बुर्द करने व वादी को उसके कब्जा काश्त से बेदखल करने पर उतारू है जिसके लिए प्रतिवादी संख्या 01 ने कुल दलाल किस्म के व्यक्तियों से बातचीत भी कर रखी है [illegible] चलने पर प्रार्थी LONDON.UNITED KINGDOM. से यहां आ[illegible] है [illegible] अर्सा 5 दिन पूर्व वादी ने प्रतिवादी संख्या 01 को उक्त पारिवारिक मौखिक सम[illegible] की पालना में वादी के नाम से विवादित कृषि भूमि में से आधा हिस्सा भूमि राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने का कहा तो प्रतिवादी संख्या 01 ने ऐसा करने से स्[illegible] रूप से इन्कार कर दिया और प्रतिवादी संख्या 01 ने एलानियां धमकी दी कि वह किसी पारिवारिक घरेलू समझौता को नही नहीं मानता है बल्कि वह वादी को विवादित कृषि भूमि से बेदखल करवा देगा और समस्त कृषि भूमि को शीघ्र ही अन्यत्र रहन, बेचान कर देगा वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.01 13:02:10 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

पत्र में दर्ज विवादित कृषि भूमि जो संयुक्त परिवार की पैतृक सम्पति है जिसमें वादी का शुरू से ही हित निहित है जो प्रतिवादी संख्या 01 के साथ वादी के संयुक्त अधिकार एवं आधिपत्य में चली आ रही है तथा जिसमें समस्त प्रकार के हक व अधिकार वादी में निहित हो चुके हैं। फलस्वरूप वादी उक्त पारिवारिक घरेलू समझौता की पालना में अपने हिस्सा व हक अधिकारों की घोषणा करवाने का विधिक अधिकारी एवं दावेदार है प्रतिवादी संख्या 01 विवादित कृषि भूमि में वादी को उसके हक एवं अधिकारों से वंचित करने के प्रयासरत है जिस सम्बन्ध में प्रतिवादी संख्या 01 ने अर्सा 5 दिन पूर्व स्पष्ट रूप से धमकी भी दी है कि वह विवादित कृषि भूमि में से वादी को कोई हिस्सा नही देगा और ना ही वह किसी पारिवारिक घरेलू समझौता को मानता है बल्कि वह वादी को विवादित कृषि भूमि से बेदखल करवा देगा और समस्त कृषि भूमि को शीघ्र ही अन्यत्र रहन, बेचान कर देगा। जबकि उक्त विवादित कृषि भूमि ही एक मात्र संयुक्त परिवार की आजीविका निर्वाह का साधन है। अगर प्रतिवादी संख्या 01 अपने अनुचित एवं नापाक मकसद में कामयाब हो गया तो वादी के पास आजीविका निर्वाह हेतु कोई कृषि भूमि नहीं बचेगी जिससे वादी व उसके परिवार के समक्ष भूख मरने की नौबत आ जावेगी और वादी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति मुद्रा की एवज में नही हो सकेगी इसलिए वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का भी विधिक अधिकारी है अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश करके निवेदन है कि ता फैसला वाद पत्र अप्रार्थी संख्या 01 को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वह अनूपगढ तहसील के चक–57 जी.बी. के मुरब्बा नम्बर 18 पत्थर नम्बर 231/448 के किला नम्बर 10/1 का 0.1260 हैक्टर, किला नम्बर 11 का 0.253 हैक्टर, किला नम्बर 12/2 का 0.2380 हैक्टर, किला नम्बर 13/3 का 0.0250 हैक्टर, किला नम्बर 13/4 का 0.1190 हैक्टर, किला नम्बर 14/1 का 0.0500 हैक्टर, किला नम्बर 14/2 का 0.0250 हैक्टर व किला नम्बर 14/3 का 0.1780 हैक्टर, किला नम्बर 15/2 का 0.1270 हैक्टर, किला नम्बर 16 का 0.2530 हैक्टर, किला नम्बर 17 का 0.2530 हैक्टर, किला नम्बर 18/1 का 0.2280 हैक्टर, किला नम्बर 18/2 का 0.0250 हैक्टर, किला नम्बर 19/1 का 0. 1280 हैक्टर, किला नम्बर 19/2 का 0.0250 हैक्टर, किला नम्बर 19/3 का 0.1000 हैक्टर, किला नम्बर 20 का 0.2530 हैक्टर, किला नम्बर 21/1 का 0.2150 हैक्टर, किला नम्बर 21/2 का 0. 0380 हैक्टर, किला नम्बर 22 का 0.2530 हैक्टर, किलानम्बर 23 का 0.2530 हैक्टर, किला नम्बर 24 का 0.2530 हैक्टर व किला नम्बर 25 का 0.2530 हैक्टर व इसी चक के मुरब्बा नम्बर 25, पत्थर नम्बर 231/449 के किला नम्बर 1/1 का 0.2280 हैक्टर, किला नम्बर 1/2 का 0.0250 हैक्टर, किला नम्बर 2 का 0.2530 हैक्टर, किला नम्बर 3 का 0.2530 हैक्टर, किला नम्बर 4 का 0. 2530 हैक्टर, किला नम्बर 5 का 0.2530 हैक्टर, किला नम्बर 6 का 0. 2530 हैक्टर, किला नम्बर 7 का 0.2530 हैक्टर, किला नम्बर 8 का 0.2530 हैक्टर, किला नम्बर 9 का 0.2530 हैक्टर, किल[illegible] 10/1 का 0.2280 हैक्टर, किला नम्बर 10/2 का 0.250 हैक्टर, किला नम्बर 11/1 का 0.2[illegible] नम्बर 11/2 का 0. 0250 हैक्टर, किला नम्ब[illegible] 0.2530 [illegible] नम्बर 13 का 0.2530 हैक्टर, किला नम्बर 14 का 0.2530 हैक्टर व किला नम्[illegible] इस प्रकार कुल 6.4520 हैक्टर कमाण्ड क्षे[illegible] से प्रार्थी के 1/2 हिस्सा कृषि भूमि किसी भी तरीके से अन्यत्र हस्ता[illegible]य, दान करने से निषिद्ध रहें तथा प्रार्थी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की [illegible] मदाखलत पैदा करने व करवाने

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.01 13:02:10 IST
Reason: SelfAttested

पत्र मे दर्ज विवादित कृषि भूमि जो संयुक्त परिवार की पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी का शुरू से ही हित निहित है जो प्रतिवादी संख्या 01 के साथ वादी के संयुक्त अधिकार एवं आधिपत्य में चली आ रही है तथा जिसमें समस्त प्रकार के हक व अधिकार वादी में निहित हो चुके है। फलस्वरूप वादी एक पारिवारिक घरेलू समझौता की पालना में अपने हिस्सा व हक अधिकारों की घोषणा करवाने का विधिक अधिकारी एवं दावेदार है प्रतिवादी संख्या 01 विवादित कृषि भूमि में वादी को उसके हक एवं अधिकारों से वंचित करने के प्रयासरत है जिस सम्बन्ध में प्रतिवादी संख्या 01 ने अर्सा 5 दिन पूर्व स्पष्ट रुप से धमकी भी दी है कि वह विवादित कृषि भूमि में से वादी को कोई हिस्सा नही देगा और ना ही वह किसी पारिवारिक घरेलू समझौता को मानता है बल्कि वह वादी को विवादित कृषि भूमि से बेदखल करवा देगा और समस्त कृषि भूमि को शीघ्र ही अन्यत्र रहन, बेचान कर देगा। जबकि उक्त विवादित कृषि भूमि ही एक मात्र संयुक्त परिवार की आजीविका निर्वाह का साधन है। अगर प्रतिवादी संख्या 01 अपने अनुचित एवं नापाक मकसद में कामयाब हो गया तो वादी के पास आजीविका निर्वाह हेतु कोई कृषि भूमि नहीं बचेगी जिससे वादी व उसके परिवार के समक्ष भूख मरने की नौबत आ जावेगी और वादी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति मुद्रा की एवज में नही हो सकेगी इसलिए वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का भी विधिक अधिकारी है अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश करके निवेदन है कि ता फैसला वाद पत्र अप्रार्थी संख्या 01 को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वह अनूपगढ तहसील के चक–57 जी.बी. के मुरब्बा नम्बर 18 पत्थर नम्बर 231/448 के किला नम्बर 10/1 का 0.1260 हैक्टर, किला नम्बर 11 का 0.253 हैक्टर, किला नम्बर 12/2 का 0.2380 हैक्टर, किला नम्बर 13/3 का 0.0250 हैक्टर, किला नम्बर 13/4 का 0.1190 हैक्टर, किला नम्बर 14/1 का 0.0500 हैक्टर, किला नम्बर 14/2 का 0.0250 हैक्टर व किला नम्बर 14/3 का 0.1780 हैक्टर, किला नम्बर 15/2 का 0.1270 हैक्टर, किला नम्बर 16 का 0.2530 हैक्टर, किला नम्बर 17 का 0.2530 हैक्टर, किला नम्बर 18/1 का 0.2280 हैक्टर, किला नम्बर 18/2 का 0.0250 हैक्टर, किला नम्बर 19/1 का 0.1280 हैक्टर, किला नम्बर 19/2 का 0.0250 हैक्टर, किला नम्बर 19/3 का 0.1000 हैक्टर, किला नम्बर 20 का 0.2530 हैक्टर, किला नम्बर 21/1 का 0.2150 हैक्टर, किला नम्बर 21/2 का 0. 0380 हैक्टर, किला नम्बर 22 का 0.2530 हैक्टर, किलानम्बर 23 का 0.2530 हैक्टर, किला नम्बर 24 का 0.2530 हैक्टर व किला नम्बर 25 का 0.2530 हैक्टर व इसी चक के मुरब्बा नम्बर 25, पत्थर नम्बर 231/449 के किला नम्बर 1/1 का 0.2280 हैक्टर, किला नम्बर 1/2 का 0.0250 हैक्टर, किला नम्बर 2 का 0.2530 हैक्टर, किला नम्बर 3 का 0.2530 हैक्टर, किला नम्बर 4 का 0.2530 हैक्टर, किला नम्बर 5 का 0.2530 हैक्टर, किला नम्बर 6 का 0. 2530 हैक्टर, किला नम्बर 7 का 0.2530 हैक्[illegible] 2530 हैक्टर, किला नम्बर 9 का 0.2530 हैक्टर, किला नम्बर 10/1 का 0.[illegible]80 [illegible] नम्बर 10/2 का 0.250 हैक्टर, किला नम्बर 11/1 का 0.2280 है[illegible] किला नम्बर 11/2 का 0.0250 हैक्टर, किला नम्बर 12 का 0.2530 हैक्टर, [illegible] नम्बर 13 का 0.2530 हैक्टर, किला नम्बर 14 का 0.2530 हैक्टर व किला नम्बर 15 का 0.2530 हैक्टर इस प्रकार कुल 6.4520 हैक्टर कमाण्ड कृषि भूमि मय खाला में से प्रार्थी के 1/2 हिस्सा कृषि भूमि किसी भी तरीके से अन्यत्र हस्तान्तरित, रहन, बैय, दान करने से निषिद्ध रहें तथा प्रार्थी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बेजा मदाखलत पैदा करने व करवाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.01 13:02:10 IST
Reason: SelfAttested

82
सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

से व्यादेशित रहे तथा इसी तरह अप्रार्थी [illegible] निशेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि [illegible]।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया [illegible] अप्रार्थी [illegible] में उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया कि विवादित कृषि भूमि अप्रार्थी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारी कृषि भूमि है [illegible] अप्रार्थी के शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त में है जिस में [illegible] भी वारिस का कोई सरोकार व वास्ता मन अप्रार्थी के जीवनकाल में नहीं है और ना ही प्रश्नगत भूमि पैतृक सहदायिकी सम्पति है और ना ही प्रश्नगत भूमि में मन अप्रार्थी के जीवनकाल में किसी प्रकार से पैतृक सहदायिकी के रूप में प्रार्थी का किसी प्रकार का हित निहित है चूंकि प्रश्नगत भूमि [illegible] भूमि में से मात्र [illegible] भूमि मन अप्रार्थी को अपने पिता से प्राप्त हुई थी शेष समस्त कृषि भूमि मन अप्रार्थी की स्वयं की मेहनत एवं खून पसीने से कमाई गई अर्जित धन राशि से मन अप्रार्थी स्वयं द्वारा जरिए बैयनामाजात खरीद की गई थी ऐसी स्थिति में प्रार्थी प्रश्नगत भूमि का सहदायिकी नंही है और ना ही मन अप्रार्थी के जीवनकाल में उसके किसी भी विधिक वारिस का कोई अधिकार प्राप्त होता है अप्रार्थी वादग्रस्त कृषि भूमि का खातेदार कृषक है जिसका उपयोग उपभोग करने का मन अप्रार्थी हर प्रकार से विधिक अधिकारी है लेकिन प्रार्थी जो कि मन अप्रार्थी का पुत्र है और मन अप्रार्थी को विभिन्न प्रकार से तंग परेशान कर रहे है तथा इसी उदेश्य से ही प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र झूठे एवं मिथ्या तथ्य दर्ज करते हुऐ पेश किया है चूकिं प्रश्नगत भूमि किसी प्रकार से सहदायिकी सम्पति नहीं है और ना ही मन अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को किसी पारिवारिक घरेलू मौखिक समझौता के तहत कभी अपनी उक्त प्रश्नगत भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रार्थी को कभी बांट कर दी गई और ना ही प्रार्थी का प्रश्नगत भूमि के किसी भू भाग पर कब्जा है, ना ही प्रार्थी का प्रश्नगत भूमि में किसी प्रकार का कोई हक अधिकार व हित मन अप्रार्थी के जीवनकाल में बनता है बल्कि समस्त प्रश्नगत भूमि शुरू से ही मन अप्रार्थी के निरन्तर एवं शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त में चली आ रही है ऐसी स्थिति में प्रार्थी कथित पारिवारिक समझौता की पालना में अपने किसी अधिकारो की घोषणा करवाने का विधिक अधिकारी है ऐसी स्थिति में प्रार्थी मन अप्रार्थी के जीवनकाल में प्रार्थी किसी प्रकार से प्रश्नगत भूमि में हिस्सा भूमि प्राप्त करने के विधिक अधिकारी नही है प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करने की कोई अधिकारिता नंही है ऐसी स्थिति मे प्रार्थना पत्र अधिकारहित प्रस्तुत होने के कारण काबिल निरस्ती के है अत मे प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

न्यायालय द्वारा बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया गया पत्रावली का सुक्ष्मता से अवलोकन किया। दोनो पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का भी अध्ययन किया। प्रार्थी के विद्धवान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया। धारा 212 आर.टी.एक्ट के प्रार्थना–पत्र के निस्तारण के लिये हमारे समक्ष तीन बिन्दू है। जिन पर न्यायालय का विवेचन इस प्रकार से है:–

प्रथम दृष्टया प्रकरण :–यह कि प्रार्थी ने [illegible] में वर्णित किया है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी ने [illegible] पैतृक सम्पति है जिस में प्रार्थी का शुरू से हितनिहित है प्रार्थी एवं अप्रार्थी [illegible] संयुक्त अधिकार में चली आ रही है उक्त विवाधित कृषि भूमि में 1/2 [illegible] घरेलू मौखिक समझौता में बाटकर दे रखी है इस सबंध में प्रार्थी [illegible] कोई भी दस्तावेज पेश नही किया है जबकि विवाधित कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड के अनुसार अप्रार्थी सं. –1 के नाम की खातेदारी कृषि भूमि है कानून में घरेलू मौखिक बटवारेनामे की कोई

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.01 13:02:10 IST
Reason: SelfAttested

मान्यता नही है तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2017 क रसमान अवलोकन किया इस न्यायिक दृष्टांत में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा ये मत दिया गया है कि पिता के जीवनकाल में पुत्र को भूमि का बटवारा करवाने का अधिकार नही है अतः न्यायालय के विनम्र मत में प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में बनना नही पाया जाता है अतः उक्त प्रथम दृष्टया प्रकरण का बिन्दु प्रार्थी के विरूद्ध तय किया जाता है।

सुविधा का संतुलन :—जहाँ तक सुविधा का संतुलन का तथ्य है चूकि प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के विरूद्ध तय किया गया है ऐसी स्थिति में अगर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो प्रार्थी के अपेक्षा अप्रार्थीगण को ज्यादा असुविधा होगी तथा अप्रार्थी संख्या 1 अपने खातेदारी कृषि भूमि का उपयोग उपभोग करने से वचित हो जायेगा। जबकि कानून व अप्रार्थीगण सं.—1 अपने खातेदारी कृषि भूमि का हर प्रकार से उपयोग व उपभोग करने का अधिकारी है अप्रार्थी सं.—1 कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों से वंचित हो जायेगा। इस प्रकार सुविधा का संतुलन तथ्य भी प्रार्थी के विरूद्व तय किया जाता है।

अपूर्णीय क्षति :—चूकि प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन के बिन्दु अप्रार्थीगण के विरूद्व तय किये जा चुके है। प्रार्थी के अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण नही कर सकता है ऐसी रिथती में उक्त प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर अप्रार्थी को पाबंध किया जाता है अप्रार्थी कानून द्वारा प्रदत अपने खातेदारी कृषि को उपयोग व उपभोग करने से वचित हो जायेगा। जिससे प्रार्थी के मुकाबले अप्रार्थी को अधिक क्षति होगी। ऐसी स्थिति में अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थी के विरूद्व तय किया जाता है।

—:: आदेश ::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के विरूद्ध तय किये गये है। प्रार्थी न्यायालय से प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र के माध्यम से अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र 212 राज.काश्त.अधिनियम खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक—**03.04.2025** को सरे इजलास सुनाया गया।

सुरेश राव आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.01 13:02:10 IST
Reason: SelfAttested